कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3420 /14-1 ,आगरा, दिनांक, 16 मार्च ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (एन0एच0-62) कि0मी0 चैनेज 81.655 की बायी पटरी पर ग्राम कमालपुरा के खसरा संख्या- 155 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0771 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक- 62/आगरा/11016/2015/यू0पी0-88, दिनांक 14.07.2016 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्र सं0-2613/22-1 दिनांक 07.02.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ने अपने पत्र सं0-2613/22-1 दिनांक 07.02.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जिसका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार से आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

आपत्ति	भारत सरकार की आपत्ति	आपत्ति का निस्तारण
1	प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण का दि0, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम, प्रभावित वृक्षों की संख्या एवं प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने व अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने का उल्लेख अंकित नहीं है	बिन्दु सं0-1 के क्रम में संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
2	प्रस्तावित वनभूमि की गणना स्पष्ट नहीं है	बिन्दु सं0-2 के क्रम में प्रस्तावित वनभूमि की गणना संलग्न है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है। प्रभागीय निदेशक के मूल हस्ताक्षर एवं सीलयुक्त उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।	बिन्दु सं0-3 के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्त निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	बिन्दु सं0-4 के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय जमा करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षर कर दी गयी है।
5	प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	बिन्दु सं0-5 के क्रम में एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रतिहस्ताक्षर कर दी गयी है।
6	प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है। इको क्लास के अनुसार गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	बिन्दु सं0-6 के क्रम में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है।
7	ऑनलाइन पार्ट-3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।

193
D/Chauhan letter 2016

8	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–2 एवं 3 पर अंकित सूचना से विदित होता है कि प्रस्ताव रिटेल आउटलेट के स्थापन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जबकि वन संरक्षक के संदर्भित पत्र द्वारा रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, पार्ट–1 के बिन्दु–ए–2 एवं 3 पर यथोचित संशोधन करें व संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	बिन्दु सं0–8 के कम मे आनलाइन पार्ट–1 के समस्त बिन्दुओं की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
9	ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–बी–2.4 मे गैर वनभूमि का क्षेत्रफल एवं ई–3 की सूचना सुसंगत नहीं है।	बिन्दु सं0–9 के कम मे आनलाइन पार्ट–1 मे संशोधन कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–5, 6, 7, 12 की सूचना सुसंगत नही है।	बिन्दु स0–10 के कम मे आनलाइन पार्ट–2 के समस्त बिन्दुओं की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
11	क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन एवं ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 मे चयनित स्थल का क्षेत्रफल एवं डिजिटल मैप मे अंकित क्षेत्रफल में भिन्नता है	बिन्दु सं0–11 के कम मे क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन मे 100 वृक्षों के रोपण का प्रावधान किया गया है जिसका क्षेत्रफल 0.09 है0 है। संशोधित डिजीटल मैप संलग्न है।
12	सूचनाओं का निराकरण कराकर, पृष्ठ सं0, विषय सूची को अपडेट करायें तथा छायाप्रति के रूप मे संलग्न अभिलेखों को सत्यापित कर संलग्न करें।	बिन्दु सं0–12 के कम मे समस्त सूचनाओं का निराकरण कर दिया गया है तथा समस्त छायाप्रतियों को प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया है।

संलग्नक :– तीन पत्रावली मूल में।

भवदीय,

(पी0 पी0 सिंह)
वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।
09/3/17

पत्रांक 3420 / दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके संदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) बी0पी0सी0एल0, प्लाट डी–1, रोड न026, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट–बी0 मथुरा रिफाइनरी मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Recd. at file
Three set
22/3/17

(पी0 पी0 सिंह)
वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।
09/3

194
D/Chauhan letter 2016